CIN: U20299DL 1986NPL023253 | GST NO. 07AAACE1747M1ZJ प्रेस विज्ञप्ति

ईयू संसद ने ईयूडीआर को एक वर्ष टालने की मंजूरी दी, अनुपालन समय सीमा अब दिसंबर 2026 तक बढ़ाया

ईपीसीएच ने राहत का स्वागत किया और हस्तशिल्प क्षेत्र के अनुकूल क्रियान्वयन का आग्रह किया

नई दिल्ली – 03 दिसंबर, 2025 — हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने यूरोपीय संसद द्वारा ईयू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन (ईयूडीआर) को एक वर्ष आगे बढ़ाने तथा लक्ष्यित सरलीकरण उपायों को मंजूरी देने का स्वागत किया। इस निर्णय से भारतीय लकड़ी आधारित हस्तशिल्प निर्यातकों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। संसद के अनुमोदन के अनुसार, बड़े ऑपरेटर/ट्रेडर पर ईयूडीआर का अनुपालन 30 दिसंबर 2026 से लागू होगा, जबकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम 30 जून 2027 से अनुपालन करेंगे।

निर्णय का स्वागत करते हुए डॉ. नीरज खन्ना, अध्यक्ष – ईपीसीएच ने कहा, "आईटी तत्परता और सरलीकरण से जुड़ा ईयूडीआर स्थगन एक ठोस कदम है। अब हमारी प्राथमिकता इस समय को तैयारी में बदलने की है जिसमे स्पष्ट टेम्पलेट, उदाहरण आधारित मार्गदर्शन और टेस्ट रन करना है, जिससे लकड़ी आधारित हस्तशिल्प निर्यातक आत्मविश्वास के साथ फाइल कर सकें। यह विस्तार बड़ी संख्या में उन निर्यातकों और कारीगरों को सीधे लाभ पहुंचाएगा, जिनमें से कई सिर्फ़ लकड़ी से बने हैंडीक्राफ्ट जैसे फ़र्नीचर, नक्काशी और सजावटी सामान एक्सपोर्ट करते हैं और जो ईयूडीआर के दायरे में आते थे। डॉ. खन्ना ने आगे कहा संतुलित, समान रूप से लागू दिशानिर्देश और स्थिर ईयू पोर्टल के साथ भारत के हस्तशिल्प निर्यातक ईयूडीआर के लक्ष्यों को पूरा करेंगे और खरीदारों को निरंतरता तथा भरोसेमंद आपूर्ति का अनुभव मिलेगा।"

ईपीसीएच के महानिदेशक की भूमिका में मुख्य संरक्षक और आईईएमएल के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने कहा, "यह अतिरिक्त समय का उपयोग व्यावहारिक और स्पष्ट अनुपालन पथ बनाने में होना चाहिए। सूचना के अनुसार सरलीकृत ड्यू-डिलिजेंस में पहली बार बाज़ार में उत्पाद रखने वाले इकाई पर प्राथमिक जिम्मेदारी होगी, जबकि सूक्ष्म/लघु प्राथमिक ऑपरेटर वन–टाइम घोषणा दे सकेंगे। इससे डाउनस्ट्रीम ट्रेडरों पर कागजी बोझ घटेगा और सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रमाणन पर फोकस बढ़ेगा।" डॉ. कुमार ने आगे कहा, "ईयूडीआर के टलने के साथ अब हमारा ध्यान ट्रेसएबिलिटी ट्लिकट, दस्तावेज़ी चेकलिस्ट, जियोलोकेशन और चेन ऑफ कस्टडी पर प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने पर होना चाहिए, ताकि छोटी इकाइयों के लिए यह प्रक्रिया सरल और स्वीकार्य बन सके।"

श्री आर. के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक – ईपीसीएच ने जानकारी दी कि व्यापार साझेदार देशों की चिंताओं को देखते हुए यूरोपीय संघ ने इस एंटी– डिफॉरेस्टेशन कानून को एक वर्ष टाल दिया है। भारतीय लकड़ी आधारित हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए यह कदम पर्यावरणीय लक्ष्यों और जीविकोपार्जन सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की दिशा में सकारात्मक है। उन्होंने आगे कहा, "ईपीसीएच संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर व्यावहारिक समाधान तैयार कर रहा है, जिससे निर्यातकों को जियोलोकेशन ट्रेसएबिलिटी जैसी चुनौतियों से निपटने के उपकरण मिल सकें। हम वृक्ष – टिम्बर लीगेलिटी असेसमेंट एवं वेरिफिकेशन स्कीम के दायरे को ईयूडीआर अनुपालन के अनुरूप विस्तारित कर रहे हैं और निर्यातकों व ईयु साझेदारों के साथ मिलकर अपग्रेडेड सिस्टम पर प्रैक्टिस सबमिशन/रिहर्सल भी करवाएँगे।"

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद देश से हस्तशिल्पों के निर्यात को बढ़ावा देने और देश के विभिन्न हस्तशिल्प क्लस्टरों में काम कर रहे लाखों कारीगरों के जाद्ई हाथों से बने उत्पादों- जैसे होम डेकोर, लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल, फर्नीचर, फैशन जूलरी एवं एक्सेसरीज को वैश्विक ब्रांड बनाने की दिशा में कार्य करने वाली एक नोडल संस्थान है। वर्ष 2024-25 के दौरान हस्तिशल्प का कुल निर्यात 33,123 करोड़ रुपये (3,918 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा और 2024-25 के दौरान काष्ठ हस्तशिल्प का निर्यात 8524.74 करोड़ रुपये (1008.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का रहा, जिसमें रुपये के संदर्भ में 6% और डॉलर के संदर्भ में 3.84% की वृद्धि दर्ज की गई ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने बताया I

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: श्री आर. के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक, ईपीसीएच +91-9810679868

PRESS RELEASE

EU Parliament backs one-year postponement of EUDR, Extends compliance timeline to December 2026

EPCH welcomes relief and seeks Handicraft sector friendly rollout

New Delhi – 03rd December, 2025 – The Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) welcomes European Parliament's approval of a one-year postponement of the EU Deforestation Regulation (EUDR), along with targeted simplification measures providing critical relief to Indian wooden handicraft exporters. As per the approval in the EU Parliament, large operators and traders would apply EUDR obligations from 30 December 2026, while micro and small enterprises would comply from 30 June 2027.

Welcoming the decision, Dr. Neeraj Khanna, Chairman – EPCH said "postponement of EUDR linked to IT readiness and simplification measure is a decisive step. Our priority now is to turn time into preparedness with clear templates, worked examples and test runs so wooden handicrafts exporters can file with confidence. This extension directly benefits large number handicraft exporter and artisans, many of whom export exclusively woodbased handicrafts like furniture, carvings and decorative items which were covered under EUDR commodities. With proportionate, uniform guidance and a stable EU portal, India's handicraft exporters can meet EUDR goals while buyers experience continuity and reliability in sourcing" Dr. Khanna added further.

Dr. Rakesh Kumar, Director General in the role of Chief Mentor-EPCH & Chairman-IEML shared that "This additional window should be used to build real and clear pathways for compliance. The information also states that simplified due diligence places primary responsibility on first-market introducers, with micro/small primary operators submitting one-off declarations, reducing administrative burdens for downstream traders and enabling focus on sustainable sourcing certifications". Dr. Kumar further added "As EUDR being postponed, now our focus should be to prioritise traceability toolkits, documentation checklists, training on geolocation and chain-of-custody that are practical and easily acceptable for small units".

Mr. R. K. Verma, Executive Director-EPCH informed that as the European Union has postponed this anti-deforestation law for a year in response to growing concerns from trading partners, the delay in the implementation of the EUDR for the Indian wooden handicrafts sector is a positive step towards balancing environmental objectives with the need to protect livelihoods. He further said "EPCH is actively working with the concerned Ministries and relevant departments to develop a practical solution that will equip exporters with effective tools to address the geolocation traceability challenges arising from compliance with the EU Deforestation Regulation (EUDR). We are expanding VRIKSH – Timber Legality Assessment & Verification Scheme scope aligned to EUDR compliances, and we'll coordinate with exporters and EU counterparts to rehearse submissions against the upgraded system".

Export Promotion Council for Handicrafts is a nodal institution for promotion of exports of handicrafts from the Country and create brand image of magic of the gifted hands of millions of craftspersons engaged in production of home, lifestyle, textiles, furniture and fashion jewellery & accessories products in different craft clusters of the Country. The overall Handicrafts exports during the year 2024-25 was Rs. 33,123 Crores (US \$ 3,918 Million) and the exports of wooden Handicrafts during the year 2024-25 was Rs. 8524.74 crores (US\$ 1008.04 million) registering a growth of 6% in rupee term and 3.84% in dollar term informed by Mr. R. K. Verma, Executive Director, EPCH.
